न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–29/09–10

कमला सिंह वगै0 बनाम ईश्वर सिंह वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15/02/23	आवेदक कमला सिंह, पिता–स्व0 भुनेश्वर सिंह, रामवृक्ष सिंह, पिता–स्व0 भुनेश्वर सिंह आदि कुल 13 अन्य अपीलार्थी, निवासी सभी ग्राम–बहेरा, थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा द्वारा ग्राम–बहेरा के खाता संख्या–82, 83, 84 एवं 09 से संबंधित विविध वाद संख्या–54/2009–10 दिनांक–18.11.2009 को अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया गया है, जिसमें विपक्षी ईश्वर सिंह पिता–बच्चु सिंह, संजय सिंह, पिता–स्व0 देवकी सिंह, सुधीर सिंह, पिता–कमता सिंह एवं मिथलेश सिंह, पिता–तपसी सिंह निवासी सभी ग्राम–बहेरा थाना–हंटरगंज जिला–चतरा को बनाया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। विविध वाद संख्या–32/09–10 (लक्ष्मी नारायण सिंह वगै0 बनाम कमला सिंह वगै) की सुनवाई विविध वाद संख्या–29/09–10 (कमला सिंह वगै0 बनाम ईश्वर सिंह वगै) में की गई है। इस वाद में लक्ष्मी नारायण सिंह हस्तक्षेपक है। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**–" यह वर्तमान अपील वाद मौजा–बहेरा, खेवट संख्या–2/7 खाता संख्या–82, 83, 84, 09 कुल रकवा–11.17 एकड़ भूमि का विपक्षी के पक्ष में अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा दिनांक–18.11.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा पारित आदेश में अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा सिर्फ 'स्वीकृत' शब्द अंकित एवं हस्ताक्षर किया गया है इससे स्पष्ट है कि आदेश फलक द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखा	

1 Misc

गया है। यह है कि अपीलार्थीगण संख्या–01 एवं 02 आपस में भाई जो खाता संख्या–82, 84 रकवा–2.59 एकड़ भूमि का दावा कर रहे है एवं अपीलार्थी संख्या–03 खाता संख्या–82, 83, 84, 09 रकवा–7.64 एकड़ भूमि का दावा कर रहे हैं इस प्रकार कुल रकवा–10.23 ए0 भूमि पर अपीलार्थी का दावा है। यह है कि अपीलार्थी संख्या–04 से 13 के द्वारा भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से अपीलार्थी संख्या–1–3 से क्रय किया गया है। जिसका दाखिल खारिज स्वीकृत होकर रसीद निगत हो रहा हैं। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज को विपक्षी 1–4 के पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण निर्गत करने का कोई अधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं हैं। यदि अंचल अधिकारी, हंटरगंज को जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत हुआ था तो उन्हें भवदीय न्यायालय में भेजना चाहिए था। यह है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा विपक्षी संख्या–01 से 04 के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, वे विपक्षी पूर्व जमीन्दार के वंशज नहीं है, बल्कि बाहरी व्यक्ति है। ग्राम–बहेरा का आवासीय प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट, मकान संख्या, प्लॉट संख्या आदि का उल्लेख कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा वंशावली निर्गत करते समय नहीं किया गय है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के पारा सख्या–02 में अंकित किया गया है कि –''मेरे द्वारा पुछ–ताछ करने पर ग्रमीणों की ओर से अथवा फलु सिंह के गोतिया द्वारा उनका वंशावली नहीं बताया गया। आवेदक सुधीर सिंह के कहने पर लिखा गया।'' इससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा फर्जी वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी हंटरगंज द्वारा गलत प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व जमीन्दार द्वारा कमला सिंह के पक्ष में हुकुमनामा निर्गत किया गया है, बल्कि सत्य यह है कि कमला सिंह के पिता–भुनेश्वर सिंह के पक्ष में निर्गत किया गया है। मौजा–बहेरा, खाता संख्या–82, 83, 84 एवं 9 बकास्त एवं गैरमजरूआ खास भूमि पूर्व जमीन्दार बालगोविन्द सिंह के नाम से दर्ज था। बालगोविन्द सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र फलु सिंह उक्त खेवट का जमीन्दार बन गए। फलु सिंह के द्वारा भुनेश्वर सिंह (अपीलार्थी 01 एवं 02 के पिता), दुखो सिंह एवं सहोदरी देवी के नाम से खाता संख्या–82, 84 रकवा–2.59 एकड़ भूमि का हुकुमनामा निर्गत किया गया। दुखो सिंह के द्वारा अपने हिस्से की भूमि गिफ्ट डीड संख्या–2236 / 26.06.1969 के माध्यम से अपने भगीना अम्बिका सिंह महावीर सिंह बांके बिहारी सिंह को दान दे

दिया। यह है कि अम्बिका सिंह महावीर सिंह बांके बिहारी सिंह के द्वारा गिफ्ट में प्राप्त भूमि को निबंधित सेल डीड संख्या–7773 / 20.06.1991 के माध्यम से अपीलार्थी संख्या–02 को बिक्री कर दिए। यह है कि सहोदरी देवी के मृत्यु के बाद उनके पुत्र सगुनी सिंह मॉ से प्राप्त भूमि का पुरा हिस्सा अपनी बेटी मनीता देवी को निबंधित गिफ्ट डीड संख्या–1593 / 25.04.1997 के माध्यम से दान दे दिए। मनीता देवी के द्वारा अपने पिता से प्राप्त दान की भूमि को कमला सिंह के साथ Registered deed of exchange number-4453/18.07.1992 के माध्यम से अदल बदल कर ली इस प्रकार अपीलार्थी संख्या–01 एवं 02 खाता संख्या–82, 84 रकवा–2.59 ए0 भूमि का मालिक बन गए। जमीन्दारी एवं जमीन्दरी उन्मूलन के बाद जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत हुआ है। यह है कि अपीलार्थी संख्या–03 रामपति सिंह के संबंध में वाद विवरणी इस प्रकार है– यह है कि रामपति सिंह के पिता–प्रेमन राम एवं माता–सरस्वती देवी के नाम से पूर्व जमीन्दार फलु सिंह के द्वारा मौजा–बहेरा खाता संख्या–82, 84, 9 रकवा–3.09 एकड एवं खाता संख्या–82, 83, 84 रकवा–4.55 एकड़ भूमि कुल रकवा–7.64 एकड़ भूमि का दो हुकुमनामा निर्गत किया गया। हुकुमनामा से प्राप्त भूमि का जमीन्दारी तथा सरकारी रसीद निर्गत हुए। यह है कि रामपति सिंह के पिता–प्रेमन राम के द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थी संख्या–4 से 13 को निबंधित सेल डीड के माध्यम से बेच दिया गया है। बिक्री के पश्चात् म्यूटेशन होकर सरकारी रसीद निर्गत हुआ है। यह है कि अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा दिनांक–01.10.2009 को अपीलार्थीयों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। यह कि अपीलार्थी के द्वारा द्वितीय पक्ष के दावा से संबंधित कागजात का सत्यापित प्रति दिनांक–24. 11.2009 को प्राप्त हुआ, तबतक अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया था परंतु अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा बाद में दिनांक–18.11.2009 की तिथि से आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरगंज द्वारा दिनांक–18.11.2009 को पारित आदेश को निरस्त करने तथा अपीलार्थी का रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

हस्तक्षेपक (विविध अपील वाद संख्या–32 / 2009–10 का अपीलार्थी) के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहस में उल्लेखित किया है कि–''यह है कि लक्ष्मीनारायण सिंह वगै0 की ओर

लिखित बहस दायर किया जा रहा है। यह है कि लक्ष्मीनारायण सिंह, रामलखन सिंह, विपिन कुमार शर्मा एवं अक्षय कुमार शर्मा का मौजा–बहेरा, खाता सख्या–82, 83 एवं 84 के भूमि पर राईट, टाईटल, इन्टेरेस्ट एवं पोसेसन है। यह है कि **खाता सख्या–82, खेवट सख्य–34 कुल प्लॉटों की संख्या–68, रकवा–10.72 एकड़ भूमि मौजा–बहेरा थाना नं0–93, थाना–हंटरगंज के अंतर्गत सर्वे खतियान में सम्मिलात मालिकान बकास्त भूमि दर्ज है**। यह है कि मौजा–बहेरा, खाता सख्या–83, प्लॉट सख्या–599 एवं 600 कुल रकवा–12 डी0 भूमि सर्वे खतियान में जेठुया भूईयॉ के नाम से दर्ज है। जेठुया भुईयॉ नावल्द मृत हो गए तो पूर्व जमीन्दार उक्त भूमि को अपने नियत्रण में ले लिए। **यह है कि मौजा–बहेरा खाता संख्या–84 विभिन्न प्लॉट 13, रकवा–1.50 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है।** यह है कि इन्द्रमणी देवी, पति–महथा इन्द्रनाथ सिंह के द्वारा पूर्व जमीन्दार महथा गोविन्द सिंह से खाता संख्या–82 एवं 84 रकवा–6.09 एकड़ भूमि के लिए हुकुमनामा के माध्यम से भूमि बन्दोबस्त करने हेतु अनुरोध कर के संवत् 6.09 एकड़ भूमि बंदोबस्त करवा लिया गया। यह है कि इन्द्रमणी देवी द्वारा भूमि हुकुमनामा से प्राप्त करने के उपरांत जमाबंदी कायम करवाकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किया गया था। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकारी अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी कायम होकर सरकारी रसीद निर्गत हुआ। यह है कि मौजा–बहेरा के महथा इन्द्रनाथ सिंह, पिता–माथा विजधर सिंह, ने पूर्व जमीन्दार सपुरण कुंवर से अनुरोध कर के संवत् 1992 में हुकुमनामा के माध्यम से खाता संख्या–82, 83, 84 रकवा–4.63 एकड़ भूमि प्राप्त किया । हुकुमनामा से भूमि प्राप्त करने के बाद दखलकार होकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किये। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकारी रसीद प्राप्त किये। **यह है कि मौजा–बहेरा का खाता संख्या–09 सर्वे खतियान में बकास्त भूमि समिलात मालिकान दर्ज है।** यह है कि लक्ष्मी नारायण सिंह वगै0 के वंशज भूमि पर दखलकार है तथा कृषि कार्य कर रहे है। यह है कि इनके द्वारा हुकुमनामा के आधार पर भूमि का दावा किया जा रहा है तथा विपक्षी के द्वारा बालगोविन्द सिंह के पुत्र फलु सिंह से प्राप्त हुकुमनामा के आधार पर दावा कर रहे है। बालगोविन्द सिंह की मृत्यु के बाद फलु सिंह को हुकुमनामा निर्गत करने का कोई अधिकार नहीं था। यह है कि गोविन्द सिंह एवं सपुरण कुंवर के

द्वारा निर्गत हुकुमनामा ही सही है। यह है कि अचंल अधिकार, हण्टरगंज के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया तथा गोविन्द सिंह एवं सपुरण कुंवर के द्वारा इंद्रमणी देवी तथा कमला सिंह वगै0 के पक्ष में निर्गत हुकुमनामा पर ध्यान नहीं दिया गया है। अपीलार्थी का अपील स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहस में उल्लेखित किया है कि–''यह कि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत मुकदमा विद्वान न्यायालय में जो लाया गया है, वह प्रथम दृष्टया में सम्पूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण में पोषणीय नही है, अविलम्ब खारीज करने योग्य है। यह कि अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत मुकदमा अंचल अधिकारी, हंटरगंज के आदेश 18.11.2009 के विरूद्ध लाया गया है, उक्त आदेश बिलकुल सही वो सत्य है, खरीज करने योग्य नही है। यह कि अपीलार्थीगण दिनांक–18.11.2009 अंचल अधिकारी के आदेश के विरोध में जो मुकदमा विद्वान न्यायालय में लाया गया है, जो न्यासंगत नहीं है। यह कि अपीलार्थीगण ने मौजा–बहेरा थाना–हंटरगंज, जिला–चतरा के अंतर्गत खाता संख्यास–82, 83, 84 एवं 9 कुल रकवा–11 एकड़ 27 डी0 के आलोक में अपने अलग–अलग हुकुमनामा के आधार पर दावा करते है, जो हुकुमनामा जाली वो बनावटी है। यह कि लक्ष्मी नारायण सिह, अक्षय सिंह, विपिन सिंह, सभी पिता–इन्द्रनाथ सिंह ने खाता संख्या–82, 83, 84 एवं 09 के बारे में जमीन विपक्षी सुधीर सिंह वगैरह के पूर्वज खेवटदार बालगोविन्द सिंह हुकुमनामा के द्वारा हासिल होने का दावा करते है, उक्त हुकुमनामा अन–रजिस्टर्ड हैं। यह . कि अपीलार्थीगण कमला सिंह, रामपति सिंह, रामवृक्ष सिंह ये सभी अपीलार्थीगण ने खाता संख्या–82, 83, 84 एवं 09 बालगोविन्द सिंह के पुत्र फल्लु सिंह के द्वारा हुकुमनामा के आधार पर दावा करते है, जो अन–रजिस्टर्ड हुकुमनामा है। फलस्वरूप अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा ओदश फलक में वर्णित है। तथा विधि के आधार पर सर्वविदित है कि एक ही जमीन का जब पिता ने हुकुमनामा दे दिया था तो बाद में पुत्र द्वारा हुकुमनामा देना सही प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत जमीन के बावत में दोनों हुकुमनामा बनावटी, काल्पनिक वो जाली प्रतीत होता है। यह कि विद्वान न्यायालय में विपक्षी के पूर्वज द्वारा प्रश्नगत जमीन के बावत किसी भी व्यक्ति को न हुकुमनामा दिया गया, न रजिस्ट्री की गई है। अपीलार्थीगण जाली वो बनावटी कागजात के आधार पर विपक्षी सुधीर

सिंह वगैरह के जमीन को हड़पने के लिए जाली वंशावली निर्गत करवा लिए थे, जो आवश्यकतानुसार अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा निरस्त किया गया है, जो बिल्कुल सही व सत्य है। यह कि खाता संख्या 82, 83, 84 पूर्व सब के नाम सही जमाबंदी था, जमाबंदी पंजी 2 में राजस्व कर्मचारी के द्वारा कार्यवाही विधिवत पारित किया गया है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के आदेश फलक में संलग्न है कि खाता संख्या 084 कुल प्लॉट संख्या 14 कुल रकबा 1 एकड़ 60 डी0 जमीन सर्वे खतियान में रैयतमजरूआ दर्ज है जो पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 169 पर दर्ज है जो अपीलार्थी के पिता कृष्णनाथ सिंह के पृष्ठ संख्या 169 पर रकबा 6 एकड़ 09 डी0 जमीन पर जमाबंदी कायम है। ऐसी स्थिति में जब सर्वे खतियानी रकबा 1 एकड़ 60 डी0 की है, तो अपीलार्थी का 6 एकड़ 09 डी0 जमीन की जमाबंदी कैसे कायम हो गयी जो स्पष्ट रूप से संदेहात्मक प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी, हंटरगंज ने आदेश पारित किया है, वह बिल्कुल न्यायिक दृष्टिकोण से एवं प्रावधानों के अनुसार सही व सत्य है। सत्यापित कर्मचारी रिपोर्ट के छायाप्रति लिखित बहस के साथ संलग्न है। यह कि खाता संख्या 82 का सर्वे खतियानी रकबा 9 एकड़ 65 डी0, जो सर्वे खतियान में विपक्षी सुधीर सिंह वगैरह के पूर्वज का बकाश्त जमीन है। तथा खाता संख्या 83 का कुल रकबा 12 डी0 तीनों खाता 82 में 1 एकड़ 50 डी0 खाता 83 में 9 एकड़ 65 डी0 तथा खाता संख्या 84 में 12 डी0 कुल तीनों खाता के कुल रकबा के हिसाब से 11 एकड़ 22 डी0 ग्यारह एकड़ बाईस डी0 जमीन सर्वे खतियान रकबा है, जबकि अपीलार्थीगण लक्ष्मीनारायण सिंह एवं कमला सिंह के नाम से तीनों खाता का रसीद 23 एकड़ 54 डी0 जमीन का जमाबंदी चल रहा था, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण का चल रहा जमाबंदी सम्पूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण से फर्जी है। ऐसी स्थिति में अंचलाधिकारी हंटरगंज का दिनांक 18.11.2009 का आदेश बिल्कुल सही व सत्य है। यह कि विपक्षी सुधीर सिंह, मिथलेश सिंह ईश्वरी सिंह, संजय सिंह ये सभी खेवटदार एवं सर्वे खतियान में बकाश्त मालिक के विधिक उत्तराधिकारी है, जो अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत है जो हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा अधिनियम के अनुसार उपरोक्त सभी खाता वाली जमीन का विधिक मालिक विपक्षीगण है। यह कि अंचलाधिकारी हंटरगंज के द्वारा निर्गत आदेश किसी भी दृष्टिकोण से

खारिज करने योग्य नहीं है। यह कि अपीलार्थी जिस हुकुमनामा के आधार पर जमाबंदी कायम करने का जो दावा करते है, उक्त हुकुमनामा ही काल्पनिक, बनावटी वो फर्जी है, क्योंकि एक ही जमीन का अपीलार्थीगण दो हुकुमनामा से दावा करते है जो विधि मान्य योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का अपील आवेदन अविलम्ब खारीज करने योग्य है। यह कि अपीलार्थी रामपति सिंह पिता पेमन राय ने स्वयं खाता संख्या–82 प्लॉट संख्या–1128 रकवा–12 डी0 जमीन दिनांक–12.06.2003 में रजिस्ट्री किये है, जिस केवाला में यह वर्णन किये है कि उक्त जमीन सर्वे बनाम फल्लु सिंह दादा मनमोरिक के खतियान में दर्ज है, तथा दादा के मरने के बाद उक्त जमीन पर दखलकार ही करके बिक्री करते है, जिसका केवाला संख्या–3150 दिनांक–12.06.2003 है। तत्पश्चात् जबकि अपीलार्थी रामपति सिंह विद्वान न्यायालय में खाता संख्या–82 का दावा हुकुमनामा से करते है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण का हुकुमनामा पूर्णत जाली वो बनावटी है। यह कि अपीलार्थी का दावा बिल्कुल गलत है, फर्जी कागजात के आधार पर सुधीर सिंह वगैरह के पुस्तैनी जमीन को हड़पने के लिए तथा तंग तबाह वो परेशान करने के नियत से विद्वान न्यायालय में झूठा मुकदमा लाया है जो अविलम्ब खारिज करने योग्य है। यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज ने उभय पक्षों के सम्पूर्ण कागजातों के अवलोकन के पश्चात् आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतः सही वो सत्य है। यह कि अपीलार्थीगण फर्जी कागज बना कर के दावा कर रहे है जो निराधार बेबुनियाद काल्पनिक वो बनावटी है, जो विद्वान न्यायालय के द्वारा अवलोकन करना न्यायहित में अत्यन्त जरूरी है क्योंकि स्वयं अपीलार्थीगण स्वीकार करते है कि एक जमीन को दो हुकुमनमा के आधार पर दावा करते है, जबकि विपक्षी के पूर्वज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई हुकुमनामा नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का आवेदन अविलम्ब खारीज करने योग्य है। यह कि अपीलार्थीगण का अपील आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर लाया गया है जो अविलम्ब खारीज करने योग्य है। यह कि सर्वे विदित हो कि सर्वे खतियानी रकवा 11 एकड़ 27 डी0 है, जबकि अपीलार्थीगण की जमाबंदी पंजी–2 में 11 में 23 एकड़ 54 डी0 चल रही थी, जो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का अपील आवेदन अविलम्ब खारीज करने योग्य है तथा पूर्णरूप से संदेहात्मक है एवं प्रथम दृष्टया में खारीज करने योग्य है। यह कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत जमीन का प्रकृति

बदलना चाहते है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त खाता संख्या–82, 83 एवं 84 वाली जमीन पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश निर्गत करने की कृपा किया जाय। यह कि विपक्षीगण के द्वारा सम्पूर्ण दाखिल दस्तावेज के आधार पर सम्पूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण से अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा निर्गत आदेश सही वो सत्य है। यह कि अन्य सारी बातें सुनवाई के समय कहा जा चुका है। अतः विद्वान न्यायालय से प्रार्थना है कि विपक्षी सुधीर सिंह वगैरह के लिखित बहस को स्वीकृत करते हुए अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल अपील आवेदन को अविलम्ब खारीज करने की कृपा की जाया। तथा विपक्षीगण के नाम से चल रहे जमाबंदी को निर्गत करने कृपा की जाय।''

अंचल अधिकारी, हंटरगंज अपने आदेश फलक में यह उल्लेखित किया है कि– ''अक्षय कुमार सिंह वास्ते रौशन कुमार सिंह ग्राम–बहेरा का आवेदन इस विविध वाद से संबंधित प्राप्त हुआ है। उन्होनें कहा है कि ग्राम–बहेरा के अंदर खाता संख्या–82, 83, 84 एवं 85 के रैयत का कुछ व्यक्तियों का नाम छुट गया है। जिसे जोड़ने हेतु अनुरोध किया है। निम्नांकित व्यक्तियों का नाम जोड़ने का अनुरोध किया गया है:– 1. सुगनी सिंह, पिता–श्यामलाल सिंह 2. दुखी सिंह, पिता–स्व0 महेश्वर सिंह ग्राम–बहेरा है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कोई आपति दर्ज नहीं की गई। तामिला प्रतिवेदन इस अभिलेख में संलग्न है। ह0 रा0 कर्म0/प्र0 अं0 नि0 के खाता संख्या रकवा एवं रैयत निम्नांकित है। **खाता संख्या–84, कुल प्लॉट संख्या–13 सर्वे खतियान रकवा–1.50 एकड़ किस्म गैरमजरूआ।** रैयत इन्द्रनाथ सिंह के पंजी–2 पृ0 संख्या–....पर रकवा–6.09 की जमाबंदी कायम है। लगान वसूल वर्ष 1973–74 से 2007–08 का रसीद निर्गत है जो सर्वे रकवा–5. 59 एकड़ अधिक है। खाता संख्या–84 में पंजी–2 पृ0 संख्या–112/1 पर सरस्वती पति–प्रेमन राम की जमाबंदी 0.26 डी0 कायम है। खाता संख्या–84 में कुल रकवा–1.50 एकड़ के स्थान पर रकवा–5.85 एकड़ की जमाबंदी कायम अधिक है का रसीद निर्गत होती है। खाता संख्या–82, कुल प्लॉट संख्या–67 कुल रकवा–9.65 रैयत इन्द्रनाथ सिंह के नाम से पंजी–2 पृ0सं0 47/1 पर कुल रकवा–4.63 एकड़ जमीन का जमाबंदी कायम है। पंजी–2 पृष्ठ संख्या–12/1 पर सरस्वती देवी पति प्रेमन साव के नाम से रकवा–4.55 एकड़ भूमि की जमाबंदी चलती है। जिसका रसीद निर्गत होती है। पंजी II पृ0 संख्या 95 पर भुनेश्वर सिंह

के नाम जमाबंदी कायम है रकवा–2.13 एकड़ भूमि की रसीद निर्गत होता है। तथा दुखो सिंह के नाम से रकवा 3.92 एकड़ भूमि का रसीद निर्गत होती है। जो कुल रकवा से 5.58 एकड़ भूमि अधिक का रसीद निर्गत होती है। खाता संख्या–83, कुल प्लॉट संख्या–02, कुल रकवा–0. 12 डी0 पंजी–2 पर इन्द्रनाथ सिंह 2 सरस्वती देवी 3 भुनेश्वर सिंह के नाम रसीद निर्गत होती हे। उपरोक्त वर्णित खाता संख्या–84 का कुल रकवा–1.50 एकड़ गैरमजरूआ) 82 का कुल रकवा–9.65 एकड़ (सर्वे वकास्त) 83 का कुल रकवा–0.12 डी0 कुल खाता–3 कुल रकवा–11.27 एकड़ भूमि है जबकि पंजी–2 में कुल रकवा–23.54 एकड़ का जमाबंदी कायम है जिसका रसीद निर्गत होती है। राजस्व प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। विपक्षी संख्या 1 अक्षय कुमार वगैरह का कागजात का अवलोकन किया। देखने से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि महथा बालगोविन्द सिंह को हुकुमनामा से प्राप्त है हुकुमनामा देखने से यह भी स्पष्ट होता कि सर्वे खतियान का रकवा कुल 150 एकड़ है और हुकुमनामा का रकवा–1.53 एकड़ भूमि है। विपक्षी संख्या–2 भुनेश्वर सिंह, प्रेमन राम सरस्वती देवी का कागजात का देखने से स्पष्ट होता है कि इन्हे भूमि बालगोविन्द सिंह के पुत्र फलु सिंह के द्वारा हुकुमनामा से प्राप्त है। विपक्षी संख्या–3 सुगनी सिंह दुखो सिंह के तरफ से तामिला के बाद जवाब नहीं दिया गया रामपति सिंह, कमला सिंह मिथिलेख कुमार सिंह एवं रामनरेश सिंह विपक्षी गण अपने उपस्थिति हाजरी में लगातार कागजात दिखने हेतु समय का मांग किये है। आवेदगण 1 सुधीर सिंह पिता–स्व0 कमला सिंह, 2. ईश्वर सिंह, पिता–स्व0 बच्चु सिंह, 3. मिथलेश सिंह, पिता–तपसी सिंह एवं 4 संजय सिंह पिता–स्व0 देवकी सिंह को कागजात को अवलोकन किया तो पाया कि आवेदक महथा फलू सिंह पिता–बालगोविन्द सिंह के मात्र एक पुत्र महथा फलू सिंह हुए। इनके मात्र चार पुत्रियॉ थी जो निम्न प्रकार हैः–

महथा फलू सिंह (पिता–बालगोविन्द सिंह)

अनुप देवी के वंशज	दिपु देवी के वंशज	अनु देवी के वंशज	सोना देवी के वंशज
↓	↓	↓	↓
संजय कुमार (आवेदक)	मिथलेश सिंह (आवेदक)	सुधीर सिंह (आवेदक)	ईश्वर सिंह (आवेदक)

विपक्षीगणों का कागजातों को देखने से पता चलता है कि बालागोविन्द सिंह ने जिस जमीन को इन्द्रनाथ सिंह के नाम हुकमनामा जमीन्दारी रसीद दिये उसी जमीन का पुत्र महथा फलू सिंह ने कमला सिंह पिता–भुनेश्वर सिंह वगै0 एवं प्रेमन राम पिता मुकुन्द सिंह सरस्वती देवी पति प्रेमन राम को हुकुमनामा जमीन्दारी रसीद दिये है। प्रश्नगत भूमि खतियान खेवट अनुसार कुल रकवा–11.27 एकड़ डी0 है। वर्तमान में कुल रकवा–23.54 एकड़ डी0 जमाबंदी चलती है। आवेदकगणों का कहना है कि खाता संख्या–82, 83, 84, 9 खेवट संख्या–2 एवं सर्वे खतियान का मालिक हमारे पूर्वज बालगोविन्द सिंह थे उनके स्र्वगवास होने के बाद महथा फलू सिंह थे। हमारे पूवजों के माध्यम से उक्त खाता की जमीन को कभी भी किसी के नाम हुकुमनामा नहीं दिया गया। आवेदकगणों का कहना है कि खाता सख्या–82, 83, 84, 9 खेवट संख्या–2 एवं सर्वे खतियान का मालिक स्वर्गवास होने के बाद महथा फलू सिंह थे। हमारे पूर्वजों के माध्यम से उक्त खाता की जमीन को कभी भी किसी का नाम हुकुमनामा नहीं दिया गया। आवेदकगणों ने कहा कि विपक्षीगण के द्वारा दिखलाया गया हुकुमनामा जमीन्दारी रसीद जाली है। विपक्षी के कागजातों को देखने से इस निष्कर्ष पर पहुचॅता हूँ कि प्रथम बार पिता ने जमीन का हुकुमनामा जमीन्दारी रसीद दिये और पुत्र ने द्वितीय बार उसी जमीन को दिये जो संदेह उत्पन्न योग्य है, और सत्य से परे है। अतः हल्का राजस्व कर्म0 / अंचल निरीक्षक के प्रस्तावित प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि खेवट एवं खतियान के आधार पर मालिक आवेदकगण के पूर्वज थे। मैं जांच प्रतिवेदन से सहमत हूँ। पूर्व जमाबंदी रैयत के पंजी–2 के पृ0संख्या 47 / 1, 112 / 1, 95 वगैरह इन्द्रनाथ सिंह कमला सिंह वगैरह खाता संख्या–82, 83, 84, 9 रकवा–23.54 एकड़ की जमाबंदी विलोपित करते हुए आवेदक सुधीर सिंह वगै0 के नाम सर्वे खतियान एवं खेवट के आधार पर खाता सख्या–82, 83, 84, 9 रकवा–11.27 एकड़ भूमि की उतराधिकारी जमाबंदी पंजी 2 में अंकित कर लगान वसूल करने की स्वीकृति दी जाती है। दिनांक–18.11.2009 को पारित आदेश के आलोक में ज्ञापांक–319 दिनांक–30.12.09 से ह0रा0कर्म0 को अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई। ह0रा0कर्म0 अर्पूण प्र0 साहु ने त्रुटि अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–07.01.2010 को समर्पित किया उन्होनों कहा है कि खाता संख्या–82, 83, 84, एवं 9 की कुल रकवा–11.36 डी0 है। आवेदकगण को कुल रकवा 11.27 एकड़ भूमि का

आदेश हेतु अनुशंसा है एवं निम्नांकित जमाबंदी रैयत की जमाबंदी स्थागित करने के लिए प्रतिवेदन समर्पित हैः–

रैयत का नाम	खाता	रकवा
पेज		
1. दुलारी देवी पति–बनावारी सिंह	82	017 डी0
2. वृजनन्ययादव वगै0, अनिल यादव, पिता–सुखदेव यादव 104 / 1	82	080 डी0
3. वृजनन्ययादव वगै0, अनिल यादव, पिता–सुखदेव यादव 102 / 1	82	020 डी0
4. रामदेव सिंह, पिता–सुदामा सिंह 42 / 1	82	0.075 डी0
5. पुष्पा देवी, पति–विजय सिंह 40 / 1	82	002 डी0
6. भुनेश्वर सिंह, पिता–बनवारी सिंह वो चंचल देवी 164 / 1	82, 84	043 डी0
	1.69 एकड़	

संबंधित रैयत को भूमि खाता संख्या–82, 83, 84 से संबंध रखता है। इस वाद में प्रश्नगत खाता की जमाबंदी विलोपित है। इसलिए क्र0 से 6 तक रैयत को जमाबंदी विलोपित किया। ह0रा0कर्म0 को संशोधित आदेश निर्गत कर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग कर लें।''

उपरोक्त तथ्यों, संबंधित पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन, अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों के आधार निम्न बिन्दु परिलक्षित होता है :–

⟹ गैरमजरूआ एवं बकास्त भूमि का मामला

⟹ **गैरमजरूआ एवं बकास्त भूमि का मामला** :– हस्तक्षेपक (विविध अपील वाद संख्या–32 / 2009–10 का अपीलार्थी) के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहस में उल्लेखित किया है कि–''यह है कि **खाता सख्या–82,** खेवट सख्य–34 कुल प्लॉटों की संख्या–68, रकवा–10.72 एकड़ भूमि मौजा–बहेरा थाना नं0–93, थाना–हंटरगंज के अंतर्गत सर्वे खतियान में **सम्मिलात मालिकान बकास्त भूमि** दर्ज है।'' यह भी उल्लेखित है कि–''मौजा–बहेरा **खाता संख्या–84** विभिन्न प्लॉट 13, रकवा–1.50 एकड़ **भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है।** यह है कि मौजा–बहेरा का **खाता संख्या–09 सर्वे खतियान में बकास्त भूमि समिलात मालिकान दर्ज है।''**

➢ **अपीलार्थी के लिखित कथन के अनुसार**–''यह है कि अंचल

अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा दिनांक–01.10.2009 को अपीलार्थीयों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। यह कि अपीलार्थी के द्वारा द्वितीय पक्ष के दावा से संबंधित कागजात का सत्यापित प्रति दिनांक–24.11.2009 को प्राप्त हुआ, तबतक अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया था परंतु अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा बाद में दिनांक–18.11.2009 की तिथि से आदेश पारित कर दिया गया।''

गैरमजरूआ खास भूमि के संदर्भ में सरकार के सचिव का पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (II) में स्पष्ट निदेश दिया गया है –

पत्रांक–06 भूमि का नियमितीकरण–89/2020 1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 पारा 9 के कंडिका (II) के अनुसार–"विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 द्वारा दिनांक–01.01.1946 के पूर्व निबंधित (विक्रय पत्र/पट्टा/हुकुमनामा) के आधार पर पंजी–II में संधारित गैरमजरूआ भूमि से संबंधित जमाबंदियों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई अंतिम रूप से संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। अंचल अधिकारी अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गये अभिलेख में ही सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हद तक विभागीय पत्रांक–2861, दिनांक–08.06.2017 को संशोधित समझा जाय। इस कार्रवाई में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी इसके लिए पूर्णतः दोषी होंगे।"

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत्/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही अग्रेतर कार्रवाई करना है। अतः अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को आदेश दिया जाता है कि पुनः संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व,

निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए साथ ही साथ गैरमजरूआ खास तथा बकास्त भूमि को ध्यान में रखते हुए नियमसंगत/विधिसम्मत् अलग–अलग भूमि के किस्म के अनुसार अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अंचल अधिकारी, हण्टरगंज को संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

15/02/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

15/02/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.28 23:08:06 -07:00
Location: 2409:40e5:9e:758a:b92c:7818:9d7f:7e68